FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

(2021 / 55)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

वादी		प्रतिवादी
नानू	बनाम	तहसीलदार आबापुरा

किस्म मुकदमा–(~~वादि~~ प्रार्थना पत्र) 136 LRA प्रकरण संख्या– 69 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-11-21	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। ~~वादी~~ प्रार्थी श्री नानू पिता धूलिया जाति भील निवासी (पालापाड़ा) ह० पाडलिया द्वारा ~~वादि~~ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 विरूद्ध ~~प्रतिवादीगण~~ अप्रार्थी श्री राज्य सरकार पिता ... जाति ... निवासी ... के पेश किया गया। ~~प्रतिवादीगण~~ अप्रार्थी के नाम ~~सम्मन~~ नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 20.12.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
20-12-21	पत्रावली पेश। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब ~~पेश करने समय~~ ~~चाहा~~। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05-1-2022 को पेश हो।	
05-1-2022	पत्रावली पेश। वकील [illegible] के जवाब पेश करने ~~समय चाहा~~ [illegible] पी ओ नाइब प्र.गा. के मार्फत [illegible] के ~~माला~~ [illegible] में [illegible] पत्रावली पूर्व ~~आदेशानुसार~~ वास्ते जवाब दिनांक 15-2-2022 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:53 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.7.22	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार आम्बापुरा को जवाब पेश करने का लिखा जाकर पत्रावली वास्ते जवाब आगामी दिनांक 27.7.22 को पेश हो। [initial]	
27.7.22	पत्रावली पेश हुई जारी उपस्थित पत्रावली वास्ते जवाब TDR आम्बापुरा आगामी दिनांक 28-7-22 को पेश हो।	
28.7.22 कार्ड दा जा	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट तहसील आम्बापुरा में पेश हुई। प्रार्थी व सहखातेदार वजा उप० आये। सहखातेदार के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। ~~इसने~~ तहसीलदार आम्बापुरा ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी की प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र पर संलग्न अहस्तान्तरण दस्तावेजों व बहस पर मनन उपरान्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैम्प पुकार हो नकल से फाइल की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय कैम्प कोर्ट आम्बापुरा में सुनाया गया। ... अधिकारी ... जिला बांसवाड़ा (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:53 IST
Reason: SelfAttested

: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाँसवाड़ा (राज.) :

निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (R.A.S.) पीठासीन अधिकारी (SDO)

प्रकरण सं० - 69/2021 दायर तारीख - 30-11-21

उनवान

नानु पिता धुलिया सारेल जाति भील नि. सामापाड़ा
त. - आम्बापुरा (प्रार्थी)

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आम्बापुरा
(अप्रार्थी)

उपस्थित :-

नानु पिता धुलिया भील - प्रार्थी

तहसीलदार आम्बापुरा - अप्रार्थी

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 136 एल आर एक्ट :-

-: निर्णय :- दिनांक - 28/7/22

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी भेन्दिया करारा पं. ह. वीरपुर का मूल निवासी होकर सही नाम नानु पिता धुलिया जाति भील है. इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति / कृषक उक्त गाँव में नही है।

प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी की भूमि जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं. 32 नयी 32 पुरानी ख. नं. 25 रकबा 9-04 बीघा ग्राम भेन्दिया - करारा प. ह. वीरपुर तहसील आम्बापुरा में स्थित है उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता श्री धुलिया पिता रकिया भील की मृत्यु उपरान्त विरासत से नामान्तरण सं. - 75 दिनांक -

cont.

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:53 IST
Reason: SelfAttested

03.5.2000 को प्रार्थी व उसके भाइयों के नाम दर्ज हुये। परन्तु प्रार्थी का नाम नाथू पिता फुलिया भील गलत दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तविक व सही नाम नानू पिता फुलिया भील है। प्रार्थी के पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि में नानु पिता फुलिया ही दर्ज है। प्रार्थी को बैंक ऋण व अन्य कार्यों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम नाथू पिता फुलिया की जगह नानू पिता फुलिया शुद्ध किये जाने के आदेश फरमावें व प्रार्थी को खातेदार घोषित किया जावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट तहसील आम्बापुरा में रखी जाकर जवाब तहसीलदार का जवाब शामिल मिसल किया गया तथा सहखातेदार वेजा पिता फुलिया के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली पर बहस प्रार्थी व तहसीलदार की सुनी गयी।

मैंने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर अध्ययन किया। प्रार्थी का नाम EPIC, भामाशाह, जनआधार कार्ड, आधार इत्यादि में नानु पिता फुलिया अंकित है। साथ ही शपथ-पत्र में सहखातेदार वजा, रूपजी, भूरा ने भी [illegible] की है। तहसीलदार आम्बापुरा ने [illegible] जवाब में प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकॉर्ड में नाथु पिता फुलिया की जगह नानु पिता फुलिया किया जाना उचित बताया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

Cont.

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

निष्कर्षत: पत्रावली के अध्ययन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खाता सं. 32 (2074-77) ख. नं. 25 रकबा 9-04 बीघा में नाथू पिता धुलिया की जगह नानु पिता धुलिया दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार आम्बापुरा को आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखा कैम्प कोर्ट आम्बापुरा में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * बांसवाड़ा (राजस्थान)

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:53 IST
Reason: SelfAttested